कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 555 / 14-1 दिनांक,अमरोहा, सितम्बर, 07 2016

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :– जनपद अमरोहा, में बदायूं–बिजनौर मार्ग (एन.एच–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या–79,, तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 08 बाधक वृक्षों को विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 340 / अमरोहा / 19948 / यूपी– 136, दिनांक 17.08.2016,

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 340 / अमरोहा / 19948 / यूपी– 136, दिनांक 17.08.2016 द्वारा अमरोहा–बदायू–बिजनौर मार्ग (एन.एच–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या–79,, तहसील हसनपुर में एस्सार आयल रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 08 बाधक वृक्षों के विदोहन की अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर कतिपय 13 बिन्दुओं पर पुनः रिपोर्ट / अभिलेख प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में अमरोहा–बदायूं–बिजनौर मार्ग (एन.एच–51) किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की खसरा संख्या–79,, तहसील हसनपुर में स्थापित किये जा रहे, एस्सार आयल रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 08 बाधक वृक्षों की अनुमति हेतु पुनः निम्न प्रकार आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव भारत सरकार की अनुमति हेतु 04 प्रतियां संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

1. प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में टाइटिल शीर्षक अंकित कर दिया गया है।
2. संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण का दिनांक अंकित करते हुए रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
3. क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में 10 वर्षो के अनुरक्षण एवं प्रतिवर्ष अनुमानित बृद्वि का समावेश करते हुए संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
4. एन0पी0वी0 गणना का प्रमाण–पत्र पुनः प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
5. सिंन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पुनः प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
6. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र पर पत्रांक एवं जिलाधिकारी की सील लगाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया गया है।
7. ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–बी 2.1 एवं 2.4 की सूचना संशोधित कर दी गयी है।
8. ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई–2, 3 की सूचना संशोधित कर दी गयी है।
9. ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–2 के बिन्दु–5, 13 की सूचना संशोधित कर दी गयी है।
10. ऑनलाइन प्रस्ताव के भाग–2 में वानस्पतिक घनत्व की सूचना संशोधित कर दी गयी है।
11. Additional Information का विवरण अंकित कर दिया गया है।
12. ऑनलाइन व आफलाइन District Profile में 1980 से हस्तान्तरित कुल वनभूमि के सापेक्ष वृक्षारोपण की प्रगति अंकित कर दी गयी है।
13. उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों एवं विषय–सूची पर पृष्ठ संख्या संशोधित कर दी गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

7/9

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक / दिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
अमरोहा वन प्रभाग
अमरोहा।